एमएमटीसी लिमिटेड: कारपोरेट कार्यालय

कार्मिक प्रभाग

आई आर अनुभाग

सं. 253/आई.आर./सी.ओ./2014 जुलाई 1, 2019

30 जून 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष की तिमाही के 60 दिनों के अंदर लेखा परीक्षा वित्तीय परिणामों पर विचार एवं अनुमोदन के लिए निदेशक मंडल की बैठक की जाएगी। परिपत्र संख्या बीएस/131/2019 दिनांक 1.4.2019 के द्वारा अधिसूचित "नामित व्यक्ति द्वारा रेगूलेटिंग और रिपोर्टिंग ट्रेडिंग के लिए आचार संहिता और अप्रकटन 2019" की धारा 8 और "एमएमटीसी के निष्पक्ष अप्रकटन और आचरण – अप्रकाशित मूल्य धारित संवेदनशील जानकारी के निष्पक्ष अप्रकटन के लिए कार्यप्रणाली और प्रक्रियाओं की धारा – 7" के अनुसार सभी संबंधितों के संज्ञान में लाया जाता है कि एनएसई द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि 'ट्रेडिंग विन्डो' 1.7.2019 से लेखापरीक्षा परिणाम आम जन के लिए उपलब्ध हो जाने के बाद 48 घंटो तक बंद रहेगी। जैसे ही उपर्युक्त उद्देश्य के लिए निदेशक मंडल की बैठक की तिथि अधिसूचित की जाती है, ट्रेडिंग विंडो पुनः खुलने की निश्चित तिथि अलग से सूचित की जाएगी।

उपर्युक्त परिपत्र में ट्रेडिंग विंडो को व्यापार अवधि के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें कंपनी की प्रतिभूतियों में व्यापार किया जा सकता है।

सभी संबंधितों से अनुरोध है कि एमएमटीसी वेबसाइट पर 'निदेशक' सूचना के अंतर्गत उपलब्ध उपर्युक्त आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करें। यह उल्लेख किया जा सकता है कि जब ट्रेडिंग विन्डो बंद रहती है तो कंपनी का निदेशक अथवा एमएमटीसी का कोई कर्मचारी अथवा कोई संबंधित व्यक्ति एमएमटीसी प्रतिभूतियों में व्यापार नही कर सकते हैं। ट्रेडिंग विंडो प्रतिबंध कंपनी से संविदात्मक अथवा आर्थिक संबंध रखने वाले लेखा परीक्षक, लेखा संस्था, विधि संस्था, विश्लेषक, आदि कंपनी को सहायता अथवा सलाह लेने वाले व्यक्ति पर भी लागू होती है।

(सुभाष भास्कर)
महाप्रबंधक(कार्मिक)

प्रति:-

1. अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के कार्यकारी सचिव/निदेशकों के निजी सचिव/कार्यकारी निदेशक/मुख्य सतर्कता अधिकारी
2. का.का. के सभी मु.म.प्र./म.प्र./कंपनी सचिव
3. सभी क्षेत्रीय प्रमुख
4. महासचिव, एमएमटीसी अधिकारी संघ, जयपुर/ कर्मचारी संघ, नयी दिल्ली, एससी/एसटी कल्याण संघ, नई दिल्ली
5. कार्यालय आदेश पुस्तिका/ नोटिस बोर्ड
6. अपर महाप्रबंधक(सिस्टमस)- कृपया उपरोक्त आदेश को एम.एम.टी.सी. वेबसाईट / इंटरानेट पर प्रदर्शित करें।